

प्रेषक,

जिलाधिकारी  
फतेहपुर

सेवा में,

निदेशक

सूचना, उ० प्र० लखनऊ।

पत्रांक 1489/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 24/10/2024

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्र को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश-781/86-2020-14 (सा०)/2020 दिनांक 23.05.2020 के अनुपालन में जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू/ मोरम के खनन क्षेत्र को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु ई-टेण्डर आमंत्रण हेतु पत्रांक 1488/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 24/10/2024 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमंत्रण की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय फतेहपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।


संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

  
जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।

  
जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी  
फतेहपुर

सेवा में,

निदेशक

सूचना, उ० प्र० लखनऊ।

पत्रांक 1489/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 24/10/2024

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्र को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश-781/86-2020-14 (सा०)/2020 दिनांक 23.05.2020 के अनुपालन में जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू/ मोरम के खनन क्षेत्र को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु ई-टेण्डर आमंत्रण हेतु पत्रांक 1489/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 24/10/2024 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमंत्रण की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय फतेहपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।

जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

# कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1488/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 24/10/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 04 रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 03/12/2024 से 09/12/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

## क्षेत्र का विवरण:-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम व नदी व डीएसआर एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी०)	सीमाएं	जियो-कोऑर्डेट्स	दर (प्रति घ०मी० मी०)	कुल क्षेत्र विस्तार/आवृत्त उपखण्ड की मात्रा (घ०मी० मी०)	अंदाज मूल्य (ला०टी० रु० अथवा अंदाजित मात्रा)	अंदाज मूल्य का 80 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162560201	खण्ड सं०-उरौली की गाटा संख्या-84 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक 577 से 579 तक, 585, 586-	50.00	उत्तर ग्राम उरौली का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी का शेष भाग पूरब ग्राम सीमा दसौली पश्चिम सीमा ग्राम अढ़ावल	A N-25°48.573' E-80°28.624' B N-25°48.440' E-80°28.780' C N-25°48.273' E-80°28.969' D N-25°48.129' E-80°29.166' E N-25°47.924' E-80°29.447' F N-25°47.705' E-80°29.835' G N-25°47.622' E-80°29.775' H N-25°47.842' E-80°29.386' I N-25°48.055' E-80°29.087' J N-25°48.207' E-80°28.880' K N-25°48.363' E-80°28.693' L N-25°48.499' E-80°28.529'	150	187500	28125000	14082500
2.	फतेहपुर	अढ़ावल (यमुना नदी)	ग्राम अढ़ावल खण्ड सं०-ए-5 की गाटा संख्या-378मि०, 377मि०, 374मि०, 415मि०, 414मि०, 378, 381मि०, 413मि०, 379, 387मि०, 412मि०, 409, 406मि०, 411मि०, 410, 406मि०, 438मि०, 439, 405, 398मि०, 399मि०, 440मि०, 404मि०, 403मि०, 435	23.75	उत्तर अढ़ावल कम्पाजिट-2 दक्षिण अढ़ावल कम्पाजिट-1 पूरब 377 व 415 का शेष भाग पश्चिम यमुना नदी	A N-25°49.160' E-80°28.354' B N-25°49.339' E-80°28.320' B1 N-25°49.402' E-80°28.015' C N-25°49.400' E-80°27.943' D N-25°49.178' E-80°27.960' D1 N-25°49.178' E-80°28.088'	150	79481	11822150	5961075

3.	खागा	गाजीपुर (यमुना नदी)	ग्राम गाजीपुर खण्ड सं०-गाजीपुर कम्पोजिट की गाटा सं०-4, 5, 16, 17, 18, 25, 46, 56	15.00	उत्तर	गाटा	A	25°31.678' N	80° 3.746' E	150	37500	5625000	2812500	
						सं०-4, 5, 16, 18, एवं 25 46 शेष भाग								
						दक्षिण	यमुना नदी	B	25°31.533' N					81° 4.215' E
						पूरब	सीमा ग्राम खरखर	C	25°31.23.7' N					81° 4.11.1' E
					पश्चिम	सीमा ग्राम गढाव	C1	25°31.349' N	81° 4.181' E					
							D	25°31.606' N	80° 3.760' E					
4.	खागा	गुरुवल (यमुना नदी) 216/180/401	खण्ड सं०-गुरुवल कम्पोजिट की गाटा संख्या-53 से 71 तक, 74 से 86 तक, 91, 132 से 134 तक	50.00	उत्तर	यमुना नदी	A	25°37.117'N	80°57.333'E	150	187500	28125000	14062500	
						का शेष भाग	A1	25°36.832'N	80°57.557'E					
						60, 63, 64,	A2	25°36.773'N	80°57.703'E					
						66, 54, 53,	A3	25°36.738'N	80°58.120'E					
						71, 74, 91	A4	25°36.767'N	80°58.333'E					
							B	25°36.860'N	80°58.629'E					
						दक्षिण	यमुना नदी	C	25°36.790'N					80°58.657'E
						का शेष भाग	C1	25°36.745'N	80°58.439'E					
						पूरब	यमुना नदी	C2	25°36.667'N					80°58.021'E
						का शेष भाग	C3	25°36.675'N	80°57.727'E					
						पश्चिम	यमुना नदी	C4	25°36.758'N					80°57.469'E
						का शेष भाग	D	25°36.930'N	80°57.080'E					

ई-निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी आनलाइन "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर व किसी भी कार्यदिवस में समय 10.00बजे से 5.00बजे तक ऑनलाइन कार्यालय फतेहपुर से प्राप्त की जा सकती है।

  
जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

# कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1488/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 24/10/2024

## ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 04 रिक्त/उपलब्ध क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 03/12/2024 से 09/12/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

### क्षेत्र का विवरण:-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम व नदी व डीएलआर एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है० मी)	सीमाएँ	जियो-कोऑर्डेट्स	दर (प्रति घ0मी0 मी)	खनन योग्य रिक्ति/अवधि/उपलब्धता की मात्रा (घ0मी0 मी)	अवधि पूर्व (संवर्धन) व अवधि के दौरान (अवधि) का मूल्य	अवधि पूर्व (अवधि) का मूल्य का 50 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162960201	खण्ड सं०-उरौली की गाटा संख्या-64 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक 577 से 579 तक, 585, 586-	50.00	उत्तर ग्राम उरौली का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी का शेष भाग पूर्व ग्राम सीमा दसौली पश्चिम सीमा ग्राम अढ़ावल	A N-25°48.573' E-80°28.624' B N-25°48.440' E-80°28.780' C N-25°48.273' E-80°28.969' D N-25°48.129' E-80°29.166' E N-25°47.924' E-80°29.447' F N-25°47.705' E-80°29.835' G N-25°47.622' E-80°29.775' H N-25°47.842' E-80°29.386' I N-25°48.055' E-80°29.087' J N-25°48.207' E-80°28.880' K N-25°48.363' E-80°28.693' L N-25°48.490' E-80°28.529'	150	187500	28125000	14082500
2.	फतेहपुर	अढ़ावल (यमुना नदी)	ग्राम अढ़ावल खण्ड सं०-ए-5 की गाटा संख्या-376मि०, 377मि०, 374मि०, 415मि०, 414मि०, 378, 381मि०, 413मि०, 379, 380मि०, 412मि०, 409, 408मि०, 411मि०, 410, 406मि०, 438मि०, 439, 406, 398मि०, 399मि०, 440मि०, 404मि०, 403मि०, 435	23.75	उत्तर अढ़ावल कम्युजिट-2 दक्षिण दढ़ावल कम्युजिट-1 पूर्व 377 व 415 का शेष भाग पश्चिम यमुना नदी	A N-25°49.160' E-80°28.354' B N-25°49.339' E-80°28.520' B1 N-25°49.402' E-80°28.015' C N-25°49.400' E-80°27.943' D N-25°49.178' E-80°27.960' D1 N-25°49.178' E-80°28.088'	150	79481	11922150	5961075

3.	क्षेत्र	गाजीपुर (यमुना नदी)	ग्राम गाजीपुर खण्ड सो-गाजीपुर कम्पोजिट की गाटा सो-4, 5, 16, 17, 18, 25, 48, 56	15.00	उत्तर	गाटा सो-4, 5, 16, 18, एच 25 48 शेष भाग	A	25°31'678" N	80° 3'746" E	150	37500	5625000	2812500		
							दक्षिण	यमुना नदी	B					25°31'533" N	81° 4'215" E
							पूरुब	सीमा ग्राम खरखर	C					25°31'237" N	81° 4'111" E
							पश्चिम	सीमा ग्राम गडाव	C1					25°31'349" N	81° 4'181" E
							D	25°31'606" N	80° 3'760" E						
4.	क्षेत्र	गुरुवल (यमुना नदी) 216/030401	खण्ड सो-गुरुवल कम्पोजिट की गाटा सख्या-53 से 71 तक 74 से 86 तक 81, 132 से 134 तक	50.00	उत्तर	यमुना नदी का शेष भाग 60, 63, 64, 68, 64, 53, 71, 74, 91	A	25°37'117" N	80°57'533" E	150	187500	28125000	14062500		
							A1	25°36'832" N	80°57'557" E						
							A2	25°36'773" N	80°57'703" E						
							A3	25°36'738" N	80°58'120" E						
							A4	25°36'767" N	80°58'333" E						
							B	25°36'860" N	80°58'629" E						
							दक्षिण	यमुना नदी का शेष भाग	C					25°36'790" N	80°58'657" E
							C1	25°36'745" N	80°58'439" E						
							पूरुब	यमुना नदी का शेष भाग	C2					25°36'667" N	80°58'021" E
							C3	25°36'675" N	80°57'727" E						
							पश्चिम	यमुना नदी का शेष भाग	C4					25°36'758" N	80°57'469" E
							D	25°36'930" N	80°57'080" E						

- अनुज्ञा पत्र को अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।
- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा व पुनः पूर्ति मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
- किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी-फतेहपुर के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
  - ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
  - इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से [etenders.up.nic.in](http://etenders.up.nic.in) पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा [etenders.up.nic.in](http://etenders.up.nic.in) के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
  - बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
  - निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय [etenders.up.nic.in](http://etenders.up.nic.in) पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-  
प्रारूप-2 की सूचनायें:-

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नम्बर।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
- ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2,000/- का चालान संख्या व दिनांक।
- च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
- ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो।
- झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।
- स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-**
- क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
- ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
- ग. पैन कार्ड।
- घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ङ. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
7. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक **11/12/2024** अपराह्न 04:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक **10/12/2024** समय सायं 5:00 बजे तक खनिज कार्यालय, फतेहपुर में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खनिज कार्यालय, फतेहपुर में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय रीति-कृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज का अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।
17. अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा विन्दुओं का जियोकोर्डिनेट भी उचित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
18. घयनित अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
19. अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार पी०टी०जेड सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम०एम०-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
20. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम०एम०-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम०एम०-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर०एफ०आई०डी० स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
21. अनुज्ञाधारक अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।
22. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
23. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
24. ई-निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में मौके का स्वयं निरीक्षण कर ई-निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई-निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में विडर को कोई आपत्ति नहीं है।
25. रीति-कृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
26. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों, खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।



27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई ब्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।
28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारक को मान्य होगा।
29. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
30. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा, जो पट्टाधारक को मान्य होगी।
31. मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के सभी नियम तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
32. ई-निविदादाता द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने की दशा में उसके द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समपूत करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।



जिलाधिकारी  
फतेहपुर।

पत्रांक 1480/खनिज/2024-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) फतेहपुर/प्रभारी अधिकारी खनिज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, फतेहपुर को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
12. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशनुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगॉम/असोथर/कारीकान धाता/खखरेरू।
13. नाज़िर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर चरपा करने हेतु।

जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।